

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,


✓ निवेदन है कि ग्राम गादिपा जमाबंदी सं. 2574,77 के खाता सं. 132 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	
132		132	बालाराम पुत्र शिवलाल हे 1/11	बालाराम पुत्र शिवलाल पुत्र शिवलाल


वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण	हस्ताक्षर
वादी 1. <u>बालसिंह पुत्र शिवलाल जाति कील गादिपा</u>	श. बालसिंह
गवाह ① 2. <u>राधेश्याम पुत्र मांगीलाल जाति मेधवाल सा.दे</u>	राधेश्याम
3. <u>बालराम पुत्र शिवलाल जाति कील सा.दे</u>	बालराम
गवाह ② 4. <u>बालराम पुत्र शिवलाल जाति कील सा.दे</u>	बालराम


रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम गादिपा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

  
 10/10/25  
 हस्ताक्षर-पटवारी  
 प0म0.....244/444

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी  अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

  
 10/10/2025  
 भू0अभिलेख निरीक्षक  
 भू0अ0नि0वृ0.स.ता.तिमा

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/971

दिनांक: 10/10/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम गादिगा के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

10/10/25  
रिपोर्ट

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/279

दिनांक: 10/11/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम गादिगा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुतेज की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुतेज को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिल्हा झालावाड  
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)